



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP95697977525825W




e-Stamp

IN 6726/2024

Certificate No. : IN-UP95697977525825W  
 Certificate Issued Date : 29-Jun-2024 01:10 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14774804/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1477480487557498711894W  
 Purchased by : SHIPRA SINGH  
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement  
 Property Description : PLOT NO-E-1 AND PLOT NO-E-2, PART OF KHASRA NO-444, SIT AT- VILL-SARAI SHEIKH, PARG,TEH AND DISTT-LKO  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : HARISH KUMAR VERMA  
 Second Party : SHIPRA SINGH  
 Stamp Duty Paid By : SHIPRA SINGH  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 46,100  
 (Forty Six Thousand One Hundred only)

28223



Please write or type below this line



Harish Kumar Verma



Shipra Singh



QIE 0005873601

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.shrestamp.com/](http://www.shrestamp.com/) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

प्रतिफल की धनराशि	: रू0 23,00,000/-
बयाना	: रू0 2,00,000/-
स्टाम्प	: रू0 46,100/-
परगना	: लखनऊ

**-:विक्रय अनुबन्ध पत्र का संक्षिप्त विवरण (बिना कब्जा):-**

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. परगना : लखनऊ
3. मोहल्ला : सराय शेख
4. सम्पत्ति का विवरण : भूखण्ड सं0-ई-1 व भूखण्ड  
(सम्पत्ति का नम्बर) सं0-ई-2, जो खसरा सं0-444  
का मिनजुमला है।
5. मापन की इकाई : वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 157.992 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति : उक्त भूखण्ड किसी भी सेगमेंट  
रोड पर स्थित नहीं है।
8. अन्य विवरण : 09 मीटर चौड़ी रोड व कार्नर पर  
(9 मीटर रोड /कार्नर स्थित नहीं है।  
इत्यादि)
9. सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय भूखण्ड

**-: चौहद्दी :-**

पूरब	: रास्ता 22 फिट चौड़ा
पश्चिम	: आराजी दीगर
उत्तर	: भूखण्ड पप्पू
दक्षिण	: भूखण्ड कुसुम त्रिपाठी





विक्रेता की संख्या-01	:	क्रेता की संख्या-01
विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
हरीश कुमार वर्मा पुत्र राम वर्मा, निवासी-531/148, मिंडिया टोला, नव दुर्गा मंदिर के पास, बड़ा चांदगंज, अलीगंज, लखनऊ।	:	श्रीमती शिप्रा सिंह पत्नी उत्कर्ष सिंह, निवासी-भवन संख्या-16 बरामदपुर जरियारी, जिला- अम्बेडकर नगर, 30प्र0।
पैन नं०-ADPPV2637N मो०नं०-9415157802	:	पैन नं०-FKFPS7027M मो०नं०-8318438982

- : विक्रय अनुबन्ध पत्र (बिना कब्जा) : -

प्रस्तुत विक्रय विलेख हरीश कुमार वर्मा पुत्र राम वर्मा, निवासी-531/148, मिंडिया टोला, नव दुर्गा मंदिर के पास, बड़ा चांदगंज, अलीगंज, लखनऊ। (जिन्हें एतद् पश्चात् "विक्रेता" कहा गया है) एवम् श्रीमती शिप्रा सिंह पत्नी उत्कर्ष सिंह, निवासी-भवन संख्या-16 बरामदपुर जरियारी, जिला-अम्बेडकर नगर, 30प्र0। (जिन्हें एतद् पश्चात् "क्रेता" कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया।

जो कि विक्रेता भूखण्ड सं०-ई-1 व भूखण्ड सं०-ई-2, जो खसरा सं०-444 का मिनजुमला है, जिसका क्षेत्रफल 1700 वर्गफिट अर्थात् 157.992 वर्गमीटर, स्थित-ग्राम/मोहल्ला-सरांय शेख, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ का मालिक कामिल व काबिज हैं।








विदित हो कि उक्त भूखण्ड की भूमि रकबा-0.0893 हे० को विक्रेता/प्रथम पक्ष ने राम आसरे पुत्र स्व० छेदा से बजरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से दिनांक-30.11.2017 को क्रय किया था, जो उपनिबंधक द्वितीय, लखनऊ के कार्यालय में बही सं०-1, जिल्द सं०-20314, पृष्ठ सं०-207 से 248, क्रमांक-14691 पर पंजीकृत है, क्रय करने के पश्चात् विक्रेता/प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर आवासीय भूखण्ड विकसित किये, विक्रीत भूखण्ड उन्हीं में से है तथा विक्रेता उक्त भूमि के कुल रकबा-0.0893 में से भूखण्ड सं०-ई-1 रकबा-1000 वर्गफिट व भूखण्ड सं०-ई-2 रकबा-700 वर्गफिट अर्थात् कुल रकबा-1700 वर्गफिट का विक्रय अनुबन्ध पत्र क्रेता से कर रहा है।

विदित हो कि उक्त भूखण्ड विक्रेता के कब्जे दखल मालिकाना हक में मौजूद है। विक्रेता को उक्त भूखण्ड विक्रय, विक्रय अनुबन्ध पत्र या अन्तरण पूर्ण व आंशिक रूप से करने का अधिकार प्राप्त है। अब बजरूरत खुद विक्रेता/प्रथम पक्ष उसी उपरोक्त भूखण्ड को बिलएवज मुबलिंग 23,00,000/- (रुपया तेईस लाख मात्र) में बेचना तय किया है तथा क्रेता ने विक्रेता को बयाना के तौर पर मुबलिंग रू० 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) अदा कर दिया है तथा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नीचे लिखे विवरण के अनुसार वसूल पा लिया है, जिसकी वसूलयावी विक्रेता/प्रथम पक्ष को कबूल है। लिहाजा दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों के पाबन्द होते है :-



1. यह कि द्वितीय पक्ष/क्रेता शेष धनराशि मुबलिग रूपया 21,00,000/- (रूपया इक्कीस लाख मात्र) विक्रेता/प्रथम पक्ष को 02 माह के अन्दर अदा करके उपरोक्त भूखण्ड का बयनामा द्वितीय पक्ष/क्रेता अपने पक्ष मे पंजीकृत करा लेगी, जिसमें प्रथम पक्ष किसी प्रकार की हीलाहवाली नहीं करेगा।
2. यह कि बयनामा रजिस्ट्री के समय जो भी खर्चा आयेगा व द्वितीय पक्ष ही वहन करेगी प्रथम पक्ष से कोई वास्ता व सरोकार न होगा।
3. यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के द्वारा उक्त भूखण्ड का कब्जा द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित नहीं किया गया है।
4. यह कि रजिस्ट्री तिथि से पूर्व उक्त भूखण्ड से सम्बन्धित सभी प्रकार के देयों के लिये प्रथम पक्ष ही जिम्मेदार होगा तथा द्वितीय पक्ष से कोई वास्ता व सरोकार न होगा।
5. यह कि यदि प्रथम पक्ष बयनामा करने में कोई हीला हवाली करता है तो ऐसी सूरत में द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह जरिए अदालत अपने पक्ष में उक्त भूखण्ड का बयनामा पंजीकृत करा लें। इसमें प्रथम पक्ष व उसके वारिसानों व उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी।





6. यह कि विक्रेता, क्रेता को आश्वस्त करता है कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र की अवधि लागू होने के दौरान वह किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में उपरोक्त सम्पत्ति का इकरारनामा, विक्रय पत्र, हिबानामा, मुख्तारनामाआम तथा वसीयतनामा इत्यादि निष्पादित नहीं करेगा।
7. यह कि विक्रेता, क्रेता को आश्वस्त करता है कि उसके द्वारा विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति वर्तमान समय में समस्त प्रकार के भार तथा न्यायालय की कार्यवाहियों बैंक ऋण तथा बन्धक इत्यादि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है।
8. यह कि उक्त भूखण्ड का विक्रय मूल्य 23,00,000/- रुपये है जिस पर नियमानुसार मुबलिंग 46,100/- का ई-स्टाम्प (नं०-IN-UP95697977525825W) शुल्क क्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है।
9. यह कि इस अनुबन्ध पत्र की नियम व शर्तें प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के वारिसानों पर भी समान रूप से लागू होगी। यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों "विक्रेता" एवं "क्रेता" में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हों, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित हैं।





आवेदन सं०: 202400821049474

विक्रय अनुबंध वितेख (बिना कब्जा)

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6726

वर्ष: 2024

पतिफल- 2300000 स्टाम्प शुल्क- 46100 अग्रिम राशि- 200000 पंजीकरण शुल्क - 11500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 11560

श्रीमती शिप्रा सिंह,

पत्नी श्री उत्तम सिंह

व्यवसाय: ~~बैंक~~ *Shipra Singh*

निवासी: भद्रन सड़था-16, बरामदपुर जरियारी, जिला-अम्बेडकर नगर, उ०प०।




ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/06/2024 एवं 04:50:07 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*[Signature]*  
उप निबंधन : अदर द्वितीय  
लखनऊ  
29/06/2024

नगिता श्रीवास्तव,  
निबंधन अधिकारी  
29/06/2024

प्रिंट करें






प्रस्तुत अनुबन्ध विलेख को विक्रेता व क्रेता ने बिना किसी भय, दबाव अथवा अनुचित प्रभाव के अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में निम्न भद्र साक्षीगण की उपस्थिति में अपने-अपने हस्ताक्षर बनाकर आज दिनांक 29 जून, 2024 को लखनऊ में निष्पादित किया।

- : भुगतान का विवरण :-

1. विक्रेता/प्रथम पक्ष ने क्रेता/द्वितीय पक्ष से रू0 1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) जरिये अकाउंट ट्रांसफर रेफ नं0-414906895466, दिनांकित-28.05.2024, जारीकर्ता बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से प्राप्त किया।
2. विक्रेता/प्रथम पक्ष ने क्रेता/द्वितीय पक्ष से रू0 1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) जरिये अकाउंट ट्रांसफर रेफ नं0-2024052923244632, दिनांकित-29.05.2024, जारीकर्ता बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से प्राप्त किया।

इस प्रकार विक्रेता ने क्रेता से कुल बयाना धनराशि रू0 2,00,000/- (रूपया दो लाख मात्र) उपरोक्त विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिया है जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।





**-:: अनुबन्धित सम्पत्ति का विवरण:-**

भूखण्ड सं०-ई-1 व भूखण्ड सं०-ई-2, जो खसरा सं०-444 का भिनजुमला है, जिसका क्षेत्रफल 1700 वर्गफिट अर्थात् 157.992 वर्गमीटर, स्थित-ग्राम/मोहल्ला-सराय शेख, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

पूरव : रास्ता 22 फिट चौड़ा  
पश्चिम : आराजी दीगर  
उत्तर : भूखण्ड पप्पू  
दक्षिण : भूखण्ड कुसुम त्रिपाठी

लखनऊ।

दिनांक : 29.06.2024

साक्षीगण :-

1.

अंकुर सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह, नि०-16, चकसेनपुर, बरामदपुर जरियारी, अम्बेडकर नगर, उ०प्र०।

मो०नं०-9695014777

व्यवसाय-अन्य

2.

शोमित सिंह पुत्र अजय कुमार सिंह, नि०-खसरा नं०-71, सराय शेख, सतरिख रोड, चिनहट, लखनऊ।

मो०नं०-9208004681

व्यवसाय-अन्य

टाईप्रकर्ता :

{एस० फँसल}

(हरीश कुमार वर्मा)  
विक्रेता

(श्रीमती शिप्रा सिंह)  
क्रेता

मसविदाकर्ता :

{प्रभात राठौर}

एडवोकेट,

हाईकोर्ट, लखनऊ

मो० नं०-9454860037

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6726


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री हरीश कुमार वर्मा, पुत्र श्री राम वर्मा  
निवासी: 531/148, भिंडिया टोला, नव दुर्गा मंदिर के पास, बड़ा चांदगंज,  
अलीगंज, लखनऊ।

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्रीमती शिप्रा सिंह, पत्नी श्री उत्कर्ष सिंह  
निवासी: भवन संख्या-16, बरामदपुर जरियारी, जिला-अम्बेडकर नगर,  
उ०प्र०।

व्यवसाय: नर्सरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री अंकर सिंह, पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह  
निवासी: 16, चकसेनपुर, बरामदपुर जरियारी, अम्बेडकर नगर, उ०प्र०।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2




श्री शोभित सिंह, पुत्र श्री अजय कुमार सिंह  
निवासी: खसरा सं०-71, सराय शेख, सतरिख रोड, चिनहट, लखनऊ।

व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी:



प्रिंट करें